

राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल-Rajunani444@yahoo.in
क्रमांक: प्रति-2/ च.श्रे.अधि.से.नि.-2019/2018-19/ दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/परिचारकों के द्वारा वर्ष 2020 में 60 वर्ष की अधिवाषिकी आयु पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पिता/पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	श्री रामरतन मीणा	श्री बक्तावर मीणा	परि.	राजकीय यूनानी औष. उमर-बून्दी	04.02.1960	29.02.2020
2	श्री सुरेश लाल शर्मा	श्री रामजीलाल शर्मा	परि.	राजकीय यूनानी औष. डाबरा-करौली	05.06.1960	30.06.2020
3	श्री चन्दूलाल	श्री खेमा जी	परि.	रा.यू.औ. गामडीदेवल, डूंगरपुर	15.09.1960	30.09.2020
4	मूली देवी	स्व. श्री हरसहाय महावर	परि.	रा. यू. औष. जौहरी बाजार-जयपुर	01.01.1961	31.12.2020

नोट:- उक्त सूची में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा के कार्मिकों के क्रम सं. 01 से 04 तक अंकित किसी भी कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक

क्रमांक: प्रति-2/ च.श्रे.अधि.से.नि.-2019/2018-19/ 4416-29
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 6-8-17

1. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर।
3. यूनानी चिकित्साधिकारी, रा.यू.औ. डाबरा-करौली/जौहरी बाजार-जयपुर/उमर-बून्दी/गामडीदेवल, डूंगरपुर को देकर लेख है कि उक्त कार्मिक को सेवा निवृत्ति दिनांक पर राज्य सेवा से सेवा निवृत्त कर सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
4. संबंधित कार्मिक श्री.....
5. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा
6. रक्षित पत्रावली

सहायक निदेशक